


नीलामी सूचना

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

न्यायालय परिसर में हैरीटेज भवन के सामने टूट गये एक नीम के पेड़ की नीलामी दिनांक 04.02.2023 को सायं 04:30 बजे चौदह न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में की जानी है। जिसकी बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा अंकन 1000-00 रू0(अंकन एक हजार रू0) प्रति बोलीदाता की दर से धरोहर धनराशि कैशियर, सिविल कोर्ट, मेरठ के पास नगद जमा दिनांक 04.02.2023 को समय 11:00 बजे तक करनी होगी अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में भी धरोहर धनराशि जमा की जा सकती है जो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को देय होगा।

प्रथम तीन उच्च बोलीदाताओं को छोड़कर शेष की धरोहर धनराशि उसी दिन वापस कर दी जायेगी। बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय जिला न्यायाधीश, मेरठ का होगा। नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है। बोली जिस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ी जायेगी उसे वन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क भी अदा करना होगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा यथा समय कोई अन्य शुल्क अथवा कर जो भी देय होगा क्रेता को अदा करना होगा। जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली छोड़ी जायेगी उसे बकाया धनराशि उसी दिन यानि दिनांक 04.02.2023 को ही नजारत अनुभाग में जमा करानी होगी। नीलामी की सभी शर्तें नजारत अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर के पास देखी जा सकती है।


(हरीराम)

सदस्य, नीलाम समिति/
विशेष मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, मेरठ।


(ब्रजेश मिश्र त्रिपाठी)

सदस्य, नीलाम समिति/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
मेरठ।



(सुरेश चन्द-11)
अध्यक्ष, नीलाम समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं0-01, मेरठ।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु


1. नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश महोदय, मेरठ
2. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ
3. नोटिस बोर्ड आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ
4. नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ
5. नोटिस बोर्ड प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ
6. समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु
7. कम्प्यूटर विभाग को माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट तथा जनपद न्यायालय, मेरठ की वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु


नीलामी की शर्तें

दिनांक 04.02.2023 को न्यायालय परिसर में हैरीटेज भवन के सामने टूट गये नीम के पेड़ की खुली बोली पद्धति द्वारा नीलामी की जानी है, जिसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों द्वारा निम्न शर्तों का पालन करना होगा।

1. नीलामी, जनपद न्यायालय, मेरठ के चौदह न्यायालय भवन के मीटिंग हॉल में दिनांक 04.02.2023 को समय 04:30 बजे अपराहन नीलाम समिति के समक्ष की जायेगी।
 2. उक्त बोली खुली बोली पद्धति के अनुसार होगी अर्थात् जिस व्यक्ति की अधिकतम बोली होगी उसके नाम पर छोड़ी जायेगी।
 3. नीलाम प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति को जमानत के तौर पर अंकन 1,000-00 रु० की धनराशि नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, मेरठ के नाम में तैयार कराकर बोली से पूर्व कैशियर, सिविल कोर्ट के पास जमा करना होगा।
 4. नीलामी जिस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ी जायेगी उसे सम्बन्धित वृक्ष के पातन हेतु प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी जिसके लिये क्रेता को आवश्यक पातन शुल्क अंकन 100-00 रु० जमा कराते हुये नियमानुसार अभिवहन अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा। काटे गये पौधे के स्थान पर 10 गुना फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किये जाने हेतु अंकन 1000-00रु० के राष्ट्रीय बचत पत्र प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के पक्ष में देय हो, को वन विभाग में जमा करना होगा।
 5. बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित पेड़ का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में उनके द्वारा किया जा सकता है।
 6. बोली जहां है, जैसा है, के आधार पर होगी।
 7. नीलामी जिस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ी जायेगी, उसे शेष भुगतान दिनांक 04.02.2023 को ही जमा करना होगा।
 8. प्रथम तीन उच्चतम बोलीदाताओं को छोड़कर अन्य बोलीदाताओं द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि उसी ही दिन वापस कर दी जायेगी।
 9. बोली की स्वीकृति माननीय जिला जज महोदय के अनुमोदन के अधीन होगी।
 10. उक्त पेड़ को काटने व ले जाने का समस्त व्यय बोलीदाता को वहन करना होगा।
 11. नीलाम को बिना कारण बताये अस्वीकृत/स्थगित एवं रद्द करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा।
 12. बोलीदाता को बोली की धनराशि के अतिरिक्त वन विभाग द्वारा निर्धारित शुल्कों को जमा किये जाने के पश्चात ही पेड़ की लकड़ियों को ले जाया जायेगा।
- शर्तों की प्रति ससम्मान माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित है।


(हरीराम)
सदस्य, नीलाम समिति/
विशेष मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, मेरठ।


(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
सदस्य, नीलाम समिति/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट),
मेरठ।


(सुरेश चन्द- 11)
अध्यक्ष, नीलाम समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-०१, मेरठ।